[2020] 2 एस.सी.आर. 687

राजेश भाई मुलजीभाई पटेल और अन्य आदि

बनाम

गुजरात राज्य और अन्य आदि

(आपराधिक अपील संख्या 251-252 ऑफ 2020)

10 फरवरी 2020

[आर. भानुमति और ए.एस.बोपन्ना, जे.जे.]

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 - उपधारा 138 और 139 - अपीलकर्ता संख्या 1 उनके मामा-अपीलकर्ता संख्या 3 द्वारा धारा 138 के तहत दायर एक आपराधिक मामले में प्रतिवादी-अभियुक्त का सगा भाई है - दोनों भाई यूके के निवासी हैं - उनके पिता के पास भारत में कृषि भूमि थी - इसे बेचने के लिए, आरोपी ने अपीलकर्ता नंबर 3 को फोन किया, जिसने प्रतिवादी नंबर 2 को चार दिनों में 30,00,000/- रुपये दिए, जिन्होंने आरोपी के लिए और उसकी ओर से रसीदें जारी कीं - आरोपी ने बाद में अपीलकर्ता संख्या 3 को सूचित किया कि उसने पहले से ही उपरोक्त भूमि एक कंपनी को बेच दी है - अपीलकर्ता संख्या 3 ने 1,20,00,000/- रुपये के अपने कानूनी बकाया ऋण की मांग की - आरोपी ने 4 चेक जारी किए - अनादरित - 2 चेक के खिलाफ दावा सीमा से वर्जित है - आपराधिक धारा 138 के तहत मामला केवल 2 चेक से संबंधित है - अपीलकर्ता संख्या 3 ने चार रसीदों के आधार पर 1,20,00,000/- रुपये की वसूली के लिए सारांश मुकदमा दायर किया - चार रसीदों के जालसाजी और निर्माण का आरोप लगाते हुए अपीलकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई - अपीलकर्ता संख्या 1- 3 ने इसे रद्द करने की मांग की - आरोपी ने धारा 138 के तहत उसके खिलाफ दायर आपराधिक मामले को भी रद्द करने की मांग की - उच्च न्यायालय ने एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया - धारा 138 के तहत आपराधिक मामला रद्द कर दिया गया - माना गया: मुकदमे में दायर चार रसीदें हस्तलेखन विशेषज्ञ को भेजी गईं,

जिन्होंने राय दी गई कि उसमें हस्ताक्षर प्रतिवादी नंबर 2 के नमूना हस्ताक्षरों से मेल नहीं खाते - इसके बाद ही अपीलकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई - लिखावट विशेषज्ञ की एकमात्र राय के आधार पर, एफआईआर दर्ज नहीं की जानी चाहिए थी - जब वास्तविकता का सवाल है प्राप्तियों का मामला सिविल मुकदमे में विचाराधीन है, एफआईआर जारी रहने से पार्टियों के हितों और सिविल मुकदमे में उनके रुख पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा - इसके अलावा, आरोपी ने चेक जारी करने की बात स्वीकार की - जब एक बार चेक जारी करने की बात स्वीकार/स्थापित हो जाती है, तो यह अनुमान लगाया जाएगा चेक-अपीलकर्ता संख्या 3 के धारक के पक्ष में धारा 139 के तहत उत्पन्न - धारा 139 और धारा 118(ए), 1872 अधिनियम के तहत अनुमानों की प्रकृति खंडन योग्य है- उच्च न्यायालय ने यह ध्यान में नहीं रखा कि जब तक आरोपी वैधानिक अनुमान का खंडन करने के अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करता, तब तक धारा 139 के तहत अनुमान बना रहेगा - विवादित आदेश रद्द कर दिया गया - अपीलकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर रद्द कर दी गई - अपीलकर्ता संख्या 3 द्वारा दायर आपराधिक मामला धारा 138 के तहत बहाल किया गया है - इसे कानून के अनुसार निपटाया जाना चाहिए - सारांश मुकदमे को कानून के अनुसार आगे बढ़ाया जाना चाहिए, उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश में व्यक्त किए गए विचारों से प्रभावित हुए बिना - नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 - आदेश 37 - दंड संहिता, 1860 - उपधारा 406, 420, 465, 467, 468, 471 और 114 - दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 482 - साक्ष्य अधिनियम, 1872 - उपधारा 45, 73 और 118(ए)।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए

माना गया: 1.1 लिखावट विशेषज्ञ ने कहा कि सभी चार रसीदों में हस्ताक्षर प्रतिवादी संख्या 2 के नमूना हस्ताक्षरों से मेल नहीं खाते थे। इसके बाद ही, उनके द्वारा शिकायत दर्ज की गई, जिसके आधार पर, एफआईआर संख्या I-194/2016 धारा 406, 420, 465, 467, 468, 471 और 114 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अपीलकर्ताओं के खिलाफ

28-12-2016 को मामला दर्ज किया गया था। जैसा कि अपीलकर्ताओं के वकील ने सही तर्क दिया है, सारांश मुकदमा संख्या 105/2015 में, मुद्दा संख्या 5 को अदालत द्वारा तय किया गया है "क्या प्रतिवादी ने साबित किया है कि वादी ने अवैध रूप से जाली हस्ताक्षर बनाए हैं और जाली रसीदें बनाई हैं"। जब रसीदों की वास्तविकता का मुद्दा सिविल मुकदमे में विचाराधीन है, तो एफआईआर को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि इससे पार्टियों के हितों और सिविल मुकदमे में उनके द्वारा उठाए गए रुख पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के संदर्भ में, हस्तलेख विशेषज्ञ की राय एक प्रासंगिक साक्ष्य है; लेकिन यह कोई निर्णायक सबूत नहीं है. हस्तलेखन विशेषज्ञ की राय को गलत साबित करने के लिए उचित साक्ष्य पेश करना वादी-अपीलकर्ता संख्या 3 के लिए हमेशा खुला है। इसके अलावा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 73 न्यायालय को अपनी राय बनाने के उद्देश्य से स्वीकृत और विवादित लेखों की तुलना करने का अधिकार देती है। लिखावट विशेषज्ञ की एकमात्र राय के आधार पर, एफआईआर दर्ज नहीं की जानी चाहिए थी। एफआईआर नंबर 1-194/2016 को जारी रखना कोर्ट की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। [पैरा 18,19]

1.2 उच्च न्यायालय ने एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत अपीलकर्ता संख्या 3 द्वारा दायर सीसी संख्या 367/2016 में आपराधिक मामले को रद्द करने में गलती की। आरोपी ने चेक जारी करने की बात स्वीकार की। जब एक बार चेक जारी करने की बात स्वीकार/स्थापित हो जाती है, तो एनआई अधिनियम की धारा 139 के तहत अनुमान चेक धारक यानी शिकायतकर्ता-अपीलकर्ता संख्या 3 के पक्ष में उत्पन्न होगा। एनआई अधिनियम की धारा 139 के तहत अनुमान की प्रकृति और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 118(ए) खंडन योग्य है। साक्ष्य जोड़कर अनुमान का खंडन करने का भार अभियुक्त पर होता है। उच्च न्यायालय ने इस बात को ध्यान में नहीं रखा कि जब तक अभियुक्त अपने बोझ से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक एनआई अधिनियम की धारा 139 के तहत अभिधारणा बनी रहेगी। वैधानिक अनुमान का खंडन करने के लिए सबूत पेश करना आरोपी का काम है। जब तथ्यों

के विवादित प्रश्न शामिल होते हैं, जिन पर पार्टियों द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, तो उच्च न्यायालय द्वारा सीआरपीसी की धारा 482 का सहारा लेकर एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। हालाँकि, न्यायालय के पास सीमा आदि जैसे कानूनी मुद्दों पर एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत दायर आपराधिक शिकायत को रद्द करने की शक्ति है। आरोपी के खिलाफ एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत दायर आपराधिक शिकायत को केवल इस आधार पर रद्द नहीं किया जाना चाहिए। अपीलकर्ता संख्या 3 और प्रतिवादी संख्या 2 के बीच परस्पर विवाद हैं। एनआई अधिनियम की धारा 139 के तहत उठाए गए वैधानिक अनुमान को ध्यान में रखे बिना, उच्च न्यायालय ने एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत दायर सीसी संख्या 367/2016 में आपराधिक शिकायत को रद्द करने में गंभीर त्रुटि की। कार्यवाही करना। विवादित आदेश निरस्त किया जाता है। [पैरा 20,21]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2020 की आपराधिक अपील संख्या 251-252

आर/क्रिमिनल विविध आवेदन संख्या 2735/2017 और आर/आपराधिक विविध आवेदन संख्या 24588/2017 में अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 14-12-2018 से।

सुश्री ऐश्वर्या भाटी, वरिष्ठ वकील, चित्रांगदा रस्त्रवारा, सुश्री कीर्ति खंगारोत, जयदीप सिंह, नितिन पी, सुश्री सेलेस्टे अग्रवाल, सुश्री ऊर्जास्वी गोस्वामी, पी ठकनानी, ग्रुप कैप्टन करण सिंह भाटी, अनिरुद्ध पी माई सुश्री दीपावती प्रियंका, उत्तरदाताओं के लिए वकील।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

आर भानुमथी, जे.

1. अनुमति स्वीकृत.

2. ये अपीलें अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध को खारिज करने के दिनांक 14.12.2018 के आक्षेपित निर्णय से उत्पन्न हुई हैं। आवेदन संख्या

2735/2017 इस प्रकार एफआईआर संख्या I-194/2016 को रद्द करने से इनकार करती है। उसी आदेश से, उच्च न्यायालय ने 2017 के आपराधिक विविध आवेदन संख्या 24588 को अनुमति दी है और एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत आरोपी योगेशभाई मुलजीभाई पटेल के खिलाफ अपीलकर्ता संख्या 3-हशमुखभाई रावजीभाई पटेल द्वारा दायर सीसी संख्या 367/2016 में आपराधिक मामले को रद्द कर दिया है।

3. संक्षिप्त तथ्य जिनके कारण ये अपीलें दायर की गईं, वे इस प्रकार हैं:-

अपीलकर्ता क्रमांक 1- राजेशभाई मुलजीभाई पटेल, योगेशभाई मूलजीभाई पटेल के सगे भाई हैं, जो अपीलार्थी क्रमांक 3-हशमुखभाई रावजीभाई पटेल द्वारा एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत दायर सीसी नंबर 367/2016 में आरोपी हैं। अपीलकर्ता संख्या 1-राजेशभाई और उनके भाई योगेशभाई दोनों यूनाइटेड किंगडम के निवासी बताए गए हैं। इस अपील में, अपीलकर्ता संख्या 1- राजेशभाई का प्रतिनिधित्व उनके पावर ऑफ अटॉर्नी धारक-अपीलकर्ता संख्या 2-विपुलकुमार हसमुखभाई पटेल के माध्यम से किया गया है। प्रतिवादी-योगेशभाई का प्रतिनिधित्व उनके पावर ऑफ अटॉर्नी धारक-एक अन्य प्रतिवादी-महेंद्रकुमार जवाहरभाई पटेल के माध्यम से किया जाता है।

4. 08-12-2015 को, अपीलकर्ता क्रमांक 3-हसमुखभाई रावजीभाई पटेल ने आरोपी योगेशभाई के खिलाफ एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत सी.सी.नं.367/2016 पर एक आपराधिक मामला दर्ज किया। अपीलकर्ता संख्या 1-राजेशभाई और योगेशभाई के पिता के पास ब्लॉक/सर्वेक्षण संख्या 534, 536/1/ए, 536/1/बी, 538,539, 540, 541/1, 542 और 543 वाली कृषि भूमि ग्राम फोफलिया, टा दाभोई, जिला वडोदरा में स्थित थी। 2010 में, अपने पिता की जमीन बेचने के लिए, योगेशभाई ने अपीलकर्ता नंबर 3 को फोन किया, जो योगेशभाई और राजेशभाई के मामा भी हैं। चूंकि अपीलकर्ता संख्या 3 भी अपनी कृषि भूमि की बिक्री से प्राप्त अधिशेष धनराशि से कुछ कृषि भूमि खरीदने की योजना बना रहा था, इसलिए उसने योगेशभाई के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। यूनाइटेड किंगडम में रहने वाले योगेशभाई ने

अपीलकर्ता संख्या 3 के पक्ष में अपनी भूमि की बिक्री विलेख निष्पादित करने के लिए भारत आने का इरादा दिखाया और प्रतिवादी संख्या 2-महेंद्रकुमार जवाहरभाई पटेल को पैसे का भुगतान करने के लिए कहा। तदनुसार, अपीलकर्ता संख्या 3 ने चार दिनों में प्रत्येक को 30,00,000/- रुपये दिए। 21-08-2010, 22-08-2010, 26-08-2010 और 28-08-2010 को आंशिक भुगतान के रूप में, कुल राशि रु. 1,20,00,000/- प्रतिवादी संख्या 2-महेंद्रकुमार को, जिन्होंने रसीदें जारी कीं आरोपी योगेशभाई के लिए और उनकी ओर से राशि के उक्त भुगतान के लिए। 2015 में, आरोपी योगेशभाई भारत आए और अपीलकर्ता संख्या 3 के साथ बैठक की। बैठक में, योगेशभाई ने अपीलकर्ता संख्या 3 को सूचित किया कि उन्होंने पहले ही एक पंजीकृत बिक्री विलेख संख्या 1229/2013 दिनांक 16-07-2013 को एक सुश्री ब्रेंटवुड के पक्ष में निष्पादित कर दिया है। इंडस्ट्रीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने उपरोक्त संदर्भित भूमि को उस कंपनी को बेच दिया, जिसे अपीलकर्ता संख्या 3 को बेचने पर सहमति हुई थी।

5. इन सभी तथ्यों को जानने के बाद, अपीलकर्ता नंबर 3 ने योगेशभाई से तुरंत अपना कानूनी बकाया ऋण यानी कुल 1,20,00,000/- रुपये की मांग की और योगेशभाई ने 30,00,000/- रुपये के चार चेक प्रत्येक अपीलकर्ता संख्या 3 के पक्ष में जारी करके राशि वापस करने का वादा किया। तदनुसार, आरोपी योगेशभाई ने 12-10-2015 को एनआरई खाता संख्या 08540107512 के चेक संख्या 8108 और 8109 और 30-10-2015 को एनआरई खाता संख्या 085401000566 के चेक संख्या 20801 और 20802 जारी किए। अपीलकर्ता संख्या 3 के अनुसार, चेक जारी करने के समय, योगेशभाई ने उपरोक्त चेक की मंजूरी का आश्वासन दिया था।

6. एनआरओ खाता संख्या 08540107512 के दो चेक संख्या 8108 और 8109 दिनांक 12-10-2015, प्रत्येक की राशि रु. 30,00,000/- एक ही दिन यानी 12-10-2015 को "भुगतान रोक दिया गया" के आधार पर अनादरित हो गए। दराज द्वारा"। तीसरा चेक एनआरई खाता संख्या 085401000566 का था, जिसका चेक संख्या 20801 दिनांक 30-10-2015 था, जिसकी

राशि 30,00,000/- रुपये थी और चौथा चेक भी एनआरई खाता संख्या 085401000566 का था, जिसका चेक संख्या 20802 दिनांक 30-102015 था, जिसकी राशि 30,00,000/- रू. थी । जब एनआरई खाता संख्या 085401000566 पर आहरित वे दो चेक एक ही दिन यानी 30-10-2015 को बैंक के समक्ष प्रस्तुत किए गए, तो वे चेक भी उसी दिन "आहरणकर्ता द्वारा भुगतान रोक दिया गया" पृष्ठांकन के साथ वापस कर दिए गए। इसके बाद, अपीलकर्ता संख्या 3 ने 17-11-2015 को योगेशभाई को कानूनी नोटिस भेजकर पैसे के भुगतान की मांग की, जो नोटिस 23-11-2015 को दिया गया।

7. जहां तक एनआरओ खाता संख्या 08540107512 के दिनांक 12-10-2015 के चेक संख्या 8108 और 8109 के अनादर का संबंध है, उन्हें 12-10-2015 को बिना भुगतान के वापस कर दिया गया था। शिकायतकर्ता ने 17-11-2015 को नोटिस जारी किया और इसलिए, दो चेक संख्या 8108 और 8109 के लिए दावा परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रावधानों के तहत सीमा से वर्जित है। इसलिए, शिकायत केवल एनआरई खाता संख्या 085401000566 के चेक संख्या 20801 और 20802 से संबंधित है, जो 30-10-2015 को बिना भुगतान के वापस कर दिए गए थे। योगेशभाई के खिलाफ एन आई एक्ट की धारा 138 के तहत शिकायत सी.सी.एन. 367/2016 में 05-02-2016 को फाइल पर ली गई थी। 06.09.2016 को, 5 अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश और जेएमएफसी, भरूच की अदालत ने आरोपी योगेशभाई की पेशी के लिए जमानती वारंट जारी किया।

8. अपीलकर्ता संख्या 3-हसमुखभाई ने सीपीसी के आदेश 37 के तहत 1,20,00,000/- रुपये की वसूली के लिए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वडोदरा के समक्ष एक विशेष सारांश मुकदमा संख्या 105/2015 दायर किया है। अपीलकर्ता संख्या 3 द्वारा दायर सारांश मुकदमा संख्या 105/2015 प्रतिवादी संख्या 2-महेंद्रकुमार द्वारा जारी चार रसीदों पर आधारित था। उस मामले में कोर्ट ने योगेशभाई और महेंद्रकुमार के खिलाफ उपस्थिति के लिए समन जारी किया था जो 01-11-2015 को तामील हो चुका है। उत्तरदाताओं के अनुसार, उन्हें उन

चार रसीदों के बारे में तभी पता चला जब उन्हें उक्त मुकदमे में समन भेजा गया। यह आरोप लगाते हुए कि अपीलकर्ताओं ने चार रसीदें जाली और गढ़ी हैं, प्रतिवादी नंबर 2-महेंद्रकुमार ने अपीलकर्ताओं के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी की शिकायत दर्ज की है। उक्त शिकायत के आधार पर, अपीलकर्ताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 406, 420, 465,467,468,471 और 114 के तहत एफआईआर संख्या I-194/2016 दर्ज की गई थी। प्रतिवादी संख्या 2-महेंद्रकुमार ने आरोप लगाया है कि अपीलकर्ताओं ने मिलकर प्रतिवादी संख्या 2 के जाली हस्ताक्षर वाले 1,20,00,000/- रुपये की मनगढ़ंत रसीदें तैयार कीं और इन जाली रसीदों को सच के रूप में प्रस्तुत किया।

9. एफआईआर में, यह कहा गया था कि यूनाइटेड किंगडम में रहने वाले योगेशभाई ने अपनी भूमि के प्रशासन के लिए महेंद्रकुमार के पक्ष में दिनांक 14.03.2013 को एक पावर ऑफ अटॉर्नी निष्पादित की थी। इस पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर, महेंद्रकुमार ने 16-04-2013 को जिग्नेशभाई धनेश चंद्र शाह के पक्ष में बिक्री के लिए एक समझौता निष्पादित किया। इसके बाद, योगेशभाई लंदन से आए और 6,16,44,000/- रुपये में सुश्री ब्रेंटवुड इंडस्ट्रीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में एक पंजीकृत बिक्री विलेख संख्या 1229/2013 दिनांक 16-07-2013 निष्पादित किया। विक्रय विलेख में, विक्रय अनुबंध धारक ने पुष्टिकरण पक्ष के रूप में हस्ताक्षर किए हैं। विक्रय पत्र पर विचार करते हुए, भूमि मालिक को 6,16,44,000/- रुपये प्राप्त होने थे और पुष्टि करने वाले पक्ष-जिग्नेशभाई को 1,13,94,000/- रुपये प्राप्त होने थे। योगेशभाई अपीलकर्ता क्रमांक 1-राजेशभाई के बड़े भाई हैं। अपीलकर्ता नंबर 1 ने योगेशभाई द्वारा बेची गई उक्त भूमि में अपने हिस्से का दावा करते हुए प्रधान सिविल न्यायाधीश, भरूच की अदालत के समक्ष एक विशेष सिविल मुकदमा संख्या 0.284/2013 दायर किया था। उक्त मुकदमे में, योगेशभाई, उनकी मां कंचनबेन, प्रतिवादी नंबर 2- महेंद्रकुमार और जिग्नेशभाई को प्रतिवादी के रूप में पेश किया गया था। लंदन में अपीलकर्ता नंबर 1 और योगेशभाई के बीच उक्त मुकदमे का समझौता हुआ था और योगेशभाई को राजेशभाई-अपीलकर्ता नंबर 1 को

90,00,000/- रुपये का भुगतान करना था। एनओसी जारी करने के लिए सहमत नहीं हुए और वादा किया कि उनकी पावर ऑफ अटॉर्नी धारक-अपीलकर्ता नंबर 2- विपुलकुमार हसमुखभाई पटेल एनओसी जारी करेंगे। तदनुसार, योगेशभाई लंदन से आए थे और उनके पावर ऑफ अटॉर्नी धारक-अपीलकर्ता संख्या 2-विपुलकुमार ने 23-09-2015 को नोटरी एच.जे. ज़ाला की उपस्थिति में एनओसी पत्र निष्पादित किया था। पार्टियों और कंपनी मेसर्स ब्रेंटवुड इंडस्ट्रीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच उक्त 90,00,000/- रुपये के भुगतान के संबंध में कई पत्राचार हुए।

10. अपीलकर्ता संख्या 1 से 3 ने धारा 482 सीआरपीसी के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक विविध आवेदन संख्या 2735/2017, एफआईआर संख्या I-194/2016 को रद्द करने के लिए दायर किया। योगेशभाई जो आपराधिक मामले में आरोपी हैं, C.C.no 367/2016 ने भी आपराधिक विविध दायर किया है। एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत उनके खिलाफ दायर चेक मामले को रद्द करने के लिए आवेदन संख्या 24588/2017। योगेशभाई ने दावा किया कि उन्होंने अपीलकर्ता संख्या 3-हसमुखभाई को चेक दिए हैं, जिन्होंने उनसे जमीन खरीदने के लिए मदद का अनुरोध किया था। योगेशभाई ने आरोप लगाया कि अपीलकर्ताओं ने प्रतिवादी नंबर 2-महेंद्रकुमार द्वारा जारी की गई रसीदें जाली हैं। इस संबंध में, योगेशभाई ने हाथ से लिखने वाले विशेषज्ञ, फॉरेंसिक विज्ञान निदेशालय दिनांक 15-12-2016 की रिपोर्ट पर भरोसा किया, जिसके अनुसार, रसीदों पर महेंद्रकुमार जवाहरभाई के विवादित हस्ताक्षर उनके द्वारा नहीं लिखे गए थे यानी प्रतिवादी संख्या 2- महेंद्रकुमार जवाहरभाई.

11. दिनांक 14-12-2018 के आक्षेपित फैसले के तहत, उच्च न्यायालय ने आपराधिक विविध को खारिज कर दिया तथा आवेदन संख्या 2735/2017 और एफआईआर संख्या I-194/2016 को रद्द करने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय ने माना कि महेंद्रकुमार द्वारा कथित तौर पर जारी की गई चार रसीदों के आधार पर, तीसरे अपीलकर्ता- हसमुखभाई ने

1,20,00,000/- रुपये की वसूली के लिए सारांश मुकदमा संख्या 105/2015 दायर किया है। उच्च न्यायालय ने हस्तलेखन विशेषज्ञ की राय का हवाला दिया, जिन्होंने कहा था कि रसीदों में पाए गए हस्ताक्षर प्रतिवादी नंबर 2-महेंद्रकुमार के हस्ताक्षर से मेल नहीं खाते हैं। उच्च न्यायालय ने माना कि आरोपों और तथ्यों को देखते हुए, प्रथम दृष्टया अपीलकर्ताओं के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी का मामला बनता है और तदनुसार, एफआईआर संख्या I-194/2016 को रद्द करने से इनकार कर दिया और आपराधिक विविध आवेदन संख्या 2735/2017 को खारिज कर दिया।

12. फौजदारी विविध में पारित आदेश के आधार पर आवेदन संख्या 2735/2017, आपराधिक विविध योगेशभाई द्वारा दायर आवेदन संख्या 24588/2017 को अनुमति दी गई और एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत अपीलकर्ता संख्या 3-हसमुखभाई द्वारा दायर सीसी संख्या 367/2016 में आपराधिक मामला रद्द कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने माना कि कथित जाली रसीदों के आधार पर, एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया है और चेक मामले को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है और तदनुसार, एनआई की धारा 138 के तहत दायर सीसी संख्या 367/2016 में आपराधिक मामले की कार्यवाही को रद्द कर दिया। व्यथित होकर अपीलकर्ताओं ने ये अपीलें दायर की हैं।

13. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील श्री डीएन पारिख ने प्रस्तुत किया है कि उच्च न्यायालय यह समझने में विफल रहा है कि प्रतिवादी संख्या 2-महेंद्रकुमार द्वारा दर्ज की गई एफआईआर झूठी और तुच्छ है क्योंकि वही विषय सारांश सूट संख्या 105/2015 में विचाराधीन है। यह प्रस्तुत किया गया कि कम से कम दो मामले में एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत दायर विशेष सारांश मुकदमा संख्या 105/2015 और सीसी संख्या 367/2016 में आपराधिक मामला सक्षम न्यायालय के समक्ष लंबित है और जबकि ऐसा है, चार रसीदों पर आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जा सकता है जो विषय वस्तु हैं पक्षों के बीच लंबित मुकदमों की जानकारी। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि सारांश सूट संख्या 105/2015 में, न्यायालय

द्वारा तय किए गए अंक संख्या 5 में "क्या प्रतिवादी ने साबित किया है कि वादी ने अवैध रूप से जाली हस्ताक्षर बनाए हैं और जाली रसीदें बनाई हैं" और लिखावट की एफएसएल रिपोर्ट-रिपोर्ट विशेषज्ञ ने उक्त मुकदमा दायर किया है और सिविल कोर्ट ने अभी तक प्राप्तियों की वास्तविकता के मुद्दे का निर्धारण नहीं किया है। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय यह समझने में विफल रहा है कि हस्तलेखन विशेषज्ञ की राय प्रासंगिक साक्ष्य है, लेकिन यह निर्णायक साक्ष्य नहीं है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 73 न्यायालय को इस उद्देश्य के लिए स्वीकृत और विवादित लेखों की तुलना करने का अधिकार न्यायालय की राय बनाने के लिए देती है। यह तर्क दिया गया कि जब सिविल मुकदमे में चार रसीदों की वास्तविकता एक मुद्दा है और विवाद दीवानी प्रकृति का है, तो आपराधिक मामले को जारी रखना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और एफआईआर संख्या I-194/2016 को रद्द किया जाए. यह भी तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय ने एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत दायर चेक मामले को रद्द करने में गलती की और उच्च न्यायालय ने यह ध्यान में नहीं रखा कि योगेशभाई द्वारा अपने एनआरई खाते से चेक जारी करना स्वीकार कर लिया गया है।

14. उपरोक्त तर्कों का खंडन करते हुए, उत्तरदाताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील सुश्री ऐश्वर्या भाटी ने प्रस्तुत किया है कि अपीलकर्ता संख्या 3- हशमुखभाई, योगेशभाई के मामा हैं और अपीलकर्ता संख्या 3 और उनके बेटे-अपीलकर्ता संख्या 2-विपुलकुमार के शब्दों पर भरोसा करते हैं। योगेशभाई ने अपने एनआरओ खाते से 30,00,000/- रुपये के दो चेक संख्या 8108 और 8109 जारी किए और चेक जारी करने के बाद, योगेशभाई को एहसास हुआ कि उक्त खाते में कोई धनराशि नहीं थी और उन्होंने अपीलकर्ता संख्या 3 से उपरोक्त चेक वापस करने के लिए कहा और दूसरे खाते के नए चेक एकत्र करें। यह प्रस्तुत किया गया कि उसके बाद योगेशभाई ने एनआरई खाते के नए चेक संख्या 20801 और 20802 प्रत्येक 30,00,000/- रुपये जारी किए और उस समय, अपीलकर्ता संख्या 3 ने बताया था कि वह अपने साथ पुराने

चेक नहीं लाए थे और वापस आ जाएंगे। एक-दो दिन में पुराने चेक आ गए लेकिन चेक कभी वापस नहीं आए। विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि योगेशभाई को संदेह हुआ और पूछताछ करने पर, उन्होंने पाया कि अपीलकर्ता संख्या 2 और 3 कोई जमीन खरीदने का इरादा नहीं रखते थे और इस प्रकार, उन्होंने बैंक को सभी चार चेक के भुगतान को रोकने का निर्देश दिया है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि अपीलकर्ताओं ने प्रतिवादी नंबर 2-महेंद्रकुमार के जाली हस्ताक्षर करके 30,00,000/- रुपये की चार जाली रसीदें बनाईं और लिखावट विशेषज्ञ ने कहा कि अपीलकर्ता नंबर 3-हसमुखभाई द्वारा भरोसा की गई चार रसीदों पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। प्रतिवादी संख्या 2-महेंद्रकुमार द्वारा और एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर, एफआईआर संख्या I-194/2016 धारा धारा 406, 420,465,467,468,471 और 114 आईपीसी के तहत दर्ज की गई है। यह प्रस्तुत किया गया था कि चूंकि अपीलकर्ताओं के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी का प्रथम दृष्टया मामला बनता है, इसलिए उच्च न्यायालय ने एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया और लगाए गए आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं है।

15. हमने प्रस्तुतियों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और विवादित आदेश और रिकॉर्ड पर मौजूद अन्य सामग्रियों का अवलोकन किया है।

16. मामला 21-08-2010, 22-08-2010, 26-08-2010 और 28-08-2010 की चार रसीदों की कुल 30,00,000/- रुपये की कथित जालसाजी से संबंधित है। प्रतिवादी क्रमांक 2-महेंद्रकुमार द्वारा रु.1,20,00,000/- जारी किया गया। 1,20,00,000/- रुपये की राशि की वसूली के लिए, अपीलकर्ता संख्या 3-हसमुखभाई ने अक्टूबर, 2015 में विशेष सारांश मुकदमा संख्या 105/2015 दायर किया। सारांश मुकदमा संख्या 105/2015 में समन प्राप्त करने के बाद, प्रतिवादी संख्या 2- महेंद्रकुमार उपस्थित हुए और बचाव के लिए अनुमति की मांग करते हुए आवेदन दायर किया और उक्त आवेदन 19.04.2016 को स्वीकार कर लिया गया। समरी

सूट संख्या 105/2015 में अपीलकर्ता संख्या 3-हसमुखभाई द्वारा दायर आवेदन पर, हस्तलेखन विशेषज्ञ की राय प्राप्त करने के लिए चार रसीदें फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेजी गईं। हस्तलेखन विशेषज्ञ की रिपोर्ट 15.12.2016 को न्यायालय में इस आशय की प्राप्त हुई कि सभी चार रसीदों पर प्रतिवादी संख्या 2-महेंद्रकुमार द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। इसके बाद प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दायर शिकायत पर, एफआईआर संख्या I-194/2016 दिनांक 28-12-2016 को धारा 406, 420, 465, 467,468,471 और 114 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अपीलकर्ताओं के खिलाफ दर्ज किया गया था।

17. सीसी संख्या 367/2016 में, अपीलकर्ता संख्या 3-हसमुखभाई का मामला यह है कि योगेशभाई ने प्रत्येक 30,00,000/- रुपये की राशि के चार चेक जारी किए, जिनका विवरण इस प्रकार है: -

प्रस्तुत करने पर, उपरोक्त चेक "भुगतानकर्ता द्वारा भुगतान रोक दिया गया" आधार पर अनादरित हो गए। कानूनी नोटिस जारी करने के बाद, अपीलकर्ता संख्या 3-हसमुखभाई ने 08-12-2015 को सीसी संख्या 367/2016 में दो चेक संख्या 20801 और 20802 से संबंधित आपराधिक मामला दायर किया। इसके बाद ही, प्रतिवादी संख्या 2-महेंद्रकुमार ने मामला दायर किया था। आपराधिक शिकायत दिनांक 20-03-2016 और अपीलकर्ता संख्या 1-राजेशभाई और अपीलकर्ता संख्या 2-विपुलकुमार के खिलाफ दिनांक 14-04-2016 को एक और आपराधिक शिकायत भी दर्ज की गई। चूंकि पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की थी, इसलिए प्रतिवादी नंबर 2 ने एफआईआर दर्ज करने के निर्देश मांगने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष एससीआरए नंबर 5945/2016 और एससीआरए नंबर 6349/2016 दायर किया। उच्च न्यायालय ने दिनांक 04.10.2016 और 06.09.2016 के आदेशों के तहत उन याचिकाओं का निपटारा कर दिया और पुलिस को मामले की जांच करने का निर्देश दिया।

18. जैसा भी हो, सारांश वाद संख्या 105/2015 में प्रतिवादी संख्या 2-महेंद्रकुमार को 19-04-2016 को बचाव की अनुमति दी गई थी। उक्त सारांश वाद संख्या 105/2015 में

अपीलकर्ता संख्या 3 द्वारा दायर आवेदन पर, मुकदमे में दायर चार रसीदें हस्तलेख विशेषज्ञ को भेजी गईं। हस्तलेखन विशेषज्ञ ने राय दी है कि सभी चार रसीदों में हस्ताक्षर नमूना हस्ताक्षरों से मेल नहीं खाते हैं जो प्रतिवादी नंबर 2-महेंद्रकुमार के थे। इसके बाद ही, महेंद्रकुमार द्वारा शिकायत दर्ज की गई, जिसके आधार पर धारा 406,420, 465,467,468,471 और 114 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अपीलकर्ताओं के खिलाफ 28.12.2016 को एफआईआर संख्या I-194/2016 दर्ज की गई थी। जैसा कि अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने सही तर्क दिया है, सारांश सूट संख्या 105/2015 में, अंक संख्या 5 को न्यायालय द्वारा तय किया गया है "क्या प्रतिवादी ने साबित किया है कि वादी ने अवैध रूप से जाली हस्ताक्षर बनाए हैं और जाली रसीदें बनाई हैं"। जब प्राप्तियों की वास्तविकता का मुद्दा सिविल मुकदमे में विचाराधीन है, तो हमारे विचार में, एफआईआर को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि इससे पक्षों के हितों और सिविल में उनके द्वारा उठाए गए रुख पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेना सुविधाजनक होना।

19. यह भी बताया जाना चाहिए कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के संदर्भ में, लिखावट विशेषज्ञ की राय साक्ष्य का एक प्रासंगिक टुकड़ा है; लेकिन यह कोई निर्णायक सबूत नहीं है. हस्तलेखन विशेषज्ञ की राय को गलत साबित करने के लिए उचित साक्ष्य पेश करना वादी-अपीलकर्ता संख्या 3 के लिए हमेशा खुला है। इसके अलावा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 73 न्यायालय को अपनी राय बनाने के उद्देश्य से स्वीकृत और विवादित लेखों की तुलना करने का अधिकार देती है। लिखावट विशेषज्ञ की एकमात्र राय के आधार पर, एफआईआर दर्ज नहीं की जानी चाहिए थी। हमारे विचार में, एफआईआर संख्या I-194/2016 को जारी रखना अदालत की प्रक्रिया और अपीलकर्ताओं द्वारा धारा 482 Crl.P.C के तहत दायर याचिका का दुरुपयोग होगा। आपराधिक विविध आवेदन संख्या 2735/2017 में एफआईआर 1-194/2016 को रद्द करने के लिए अनुमति दी जाए।

20. हमारे विचार में, उच्च न्यायालय ने एनआई की धारा 138 के तहत अपीलकर्ता संख्या 3-हसमुखभाई द्वारा दायर सीसी संख्या 367/2016 में आपराधिक मामले को रद्द करने में गलती की। कार्यवाही करना। जैसा कि पहले बताया गया है, योगेशभाई ने चेक जारी करने की बात स्वीकार कर ली है। जब एक बार चेक जारी करने की बात स्वीकार/स्थापित हो जाती है, तो एन.आई. अधिनियम की धारा 139 के तहत अनुमान चेक धारक के पक्ष में उत्पन्न होगा जो कि शिकायतकर्ता-अपीलकर्ता संख्या 3 है। एन.आई. अधिनियम की धारा 139 के तहत अनुमानों की प्रकृति और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 118(ए) खंडन योग्य है। बेशक, योगेशभाई ने यह बचाव किया है कि कोई अवैध रूप से लागू करने योग्य ऋण नहीं है और उन्होंने अपीलकर्ता नंबर 3-हसमुखभाई को जमीन खरीदने में मदद करने के लिए चेक जारी किए हैं। साक्ष्य जोड़कर अनुमान का खंडन करने का भार अभियुक्त पर होता है। उच्च न्यायालय ने इस बात को ध्यान में नहीं रखा कि जब तक अभियुक्त अपने बोझ से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक एनआई अधिनियम की धारा 139 के तहत अभिधारणा बनी रहेगी। वैधानिक अनुमान का खंडन करने के लिए सबूत पेश करना योगेशभाई का काम है। जब तथ्यों के विवादित प्रश्न शामिल होते हैं, जिन पर पार्टियों द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, तो एन.एल अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत को सीआरपीसी की धारा 482 का सहारा लेकर उच्च न्यायालय द्वारा रद्द नहीं किया जाना चाहिए। हालाँकि, न्यायालय के पास सीमा आदि जैसे कानूनी मुद्दों पर एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत दायर आपराधिक शिकायत को रद्द करने की शक्ति है। योगेशभाई के खिलाफ एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत दायर आपराधिक शिकायत को केवल इस आधार पर रद्द नहीं किया जाना चाहिए था अपीलकर्ता संख्या 3 और प्रतिवादी संख्या 2 के बीच परस्पर विवाद है। एनआई अधिनियम की धारा 139 के तहत उठाए गए वैधानिक अनुमान को ध्यान में रखे बिना, उच्च न्यायालय ने, हमारे विचार में, सी.सी. में आपराधिक शिकायत

को रद्द करने में एक गंभीर त्रुटि की है। संख्या 367/2016 एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत दायर किया गया।

21. परिणामस्वरूप, आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया जाता है और इन अपीलों को अनुमति दी जाती है। आपराधिक विविध आवेदन संख्या 2735/2017 अपीलकर्ताओं द्वारा दायर को स्वीकार किया जाता है और एफआईआर संख्या I-194/2016 को रद्द कर दिया जाता है। आपराधिक विविध आवेदन संख्या 24588/2017 योगेशभाई मुलजीभाई पटेल द्वारा दायर खारिज कर दिया गया है। अपीलकर्ता संख्या 3-हसमुखभाई रावजीभाई पटेल द्वारा एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत दायर मामला - सीसी संख्या 367/2016 बहाल किया गया है। 5 अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश और जेएमएफसी, भरूच को निर्देश दिया गया है कि वे एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत दायर सीसी नंबर 367/2016 में मामले को आगे बढ़ाएं और दोनों पक्षों को पर्याप्त अवसर दें और कानून के अनुसार इसका निपटान करें। सारांश मुकदमा संख्या 105/2015 को उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश में व्यक्त किसी भी विचार से प्रभावित हुए बिना कानून के अनुसार आगे बढ़ाया जाएगा।

दिव्या पांडे

अपील स्वीकार की गई।

आशीष तिवारी द्वारा अनुवादित।